पेयजल की व्यवस्था में 62 कस्बे और शहर ऐसे हैं, जहां 24 घंटे से अधिक अन्तराल पर पानी मिलता है। अतः इन सब स्थानों की जल-प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन/समिवर्धन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से लिए जाने आवश्यक हैं। अकेले उदयपुर शहर की 55.57 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई है। जल-प्रदाय योजना बिलाडा 27.30 करोड़ रुपये, पीपाड सिटी 35.15 करोड़ रुपये, ब्यावर 154.97 करोड़ रुपये, किशनगढ़ 166.98 करोड़ रुपये, बीकानेर 205.00 करोड़ रुपये, मरू एवं अर्द्ध मरू क्षेत्र से तथा सलूम्बर 52.00 करोड़ रुपये और प्रतापगढ़ 56.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास इसलिए लंबित हैं कि इनके लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है।

महोदया, भोजन के बाद पेयजल सर्वोच्च वरीयता वाला मुद्दा है। इसके लिए धनराशि न देना राजस्थान की जनता के साथ भेदभाव करने वाली बात है। इससे जनता में आक्रोश पनपता है और जगह-जगह जलप्रदाय योजनाओं से तोड़फोड़ होती रहती है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग के अनुरूप न्यूनतम 300 करोड़ रुपये की धनराशि भारत सरकार द्वारा दिए जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

Demand to reduce the prices of petrol and diesel

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Madam, it is unfortunate that the Government is refusing to reduce the prices of petrol and diesel despite a steady fall in the international oil prices. The international oil prices had fallen below 42 dollars per barrel in the mid-November, 2008. The administered price of petrol and diesel was increased in June, 2008, by Rs.5 and Rs.3 per litre of petrol and diesel when the international oil prices had reached a level of 123 dollars per barrel. There is no justification for refusing to make a substantial cut in the prices of petrol and diesel when the Government itself admitted that the administered prices of petrol and diesel are based upon an Indian basket calculated at 67 dollars a barrel. But the prices of aviation turbine fuel (ATF) has been brought down from around Rs.71,000 per kilo litre to around Rs.43,000 per kilo litre as of now. The ATF has also been exempted from import duty of 5 per cent. It is very unfortunate that the Government is providing such a largesse to the private airlines. Hence I urge upon the Government to reduce the prices of petrol and diesel and provide relief to the people who are suffering from all-round price rise of essential commodities.

SHRI SAMAN PATHAK (West Bengal): Madam, I associate myself with this Special Mention.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The House now stands adjourned for lunch till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at forty-one minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock[]

[MR. DEPUTY CHAIRMAN, in the Chair].

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we, take up the National Jute Board

GOVERNMENT BILLS – *contd.*

The National Jute Board Bill, 2008

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA) Sir, I move :

"That the Bill to provide for the establishment of a National Jute Board for the development of the cultivation, manufacture and marketing of jute and jute products and for matter connected therewith and incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, अभी राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2008 माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, 21.02.08 को यह लोक सभा द्वारा जिस रूप में पारित हुआ था, उसी रूप में माननीय मंत्री जी ने इसको यहां प्रस्तुत किया है।

महोदय, जूट इंडस्ट्री और जूट फार्मिंग, इन दोनों का आजादी से पहले हमारे यहां अपने आप में एक सम्पूर्ण क्षेत्र था। काफी बड़े ईस्टर्न रीज़न में, सम्पूर्ण क्षेत्र में, व्यापक रूप से इसकी खेती होती थी और उस समय हमारे यहां खेती या उद्योग में पैकिंग वगैरह की जितनी चीजें थीं, उनमें प्रायः जूट का ही प्रयोग होता था। इसी से बने बोरे, थैले, पैकेट वगैरह सब काम में आते थे और इसलिए एक प्रकार से किसानों को भी इससे पर्याप्त लाभ था और उस समय जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, वे भी एक प्रकार से काफी फायदेमंद थे। इससे मजदूर को भी अच्छी तरह से काम मिलता था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक युग में नए-नए experiments होने के बाद नयी-नयी चीजें आईं। धीरे-धीरे प्लास्टिक का प्रयोग हर क्षेत्र में बढ़ता गया, पैकेजिंग में, बाकी चीजों में प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता गया और उसके कारण जूट उद्योग एक प्रकार से समाप्त होने लगा, खत्म होने लगा। दुर्भाग्य यह रहा कि शासन ने भी इस और विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं दिया कि इसको बचाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जाने चाहिए। यदि हम पहले से कुछ ऐसे precautionary measures अपना लेते कि जो गर्वनमेंट सैक्टर है, जहां पैकिंग होती है, वहां कंपलसरी तौर पर इसको रखा जाएगा और वहां प्लास्टिक बैगों का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो मैं सोचता हूं कि आज यह इंडस्ट्री इतनी बुरी दुर्दशा में न होती और न ही उस क्षेत्र का किसान जो इस प्रकार से समाप्त हुआ है, जूट की खेती जो इस प्रकार से समाप्त हुई है, वह नहीं हो पाती। मेरा ख्याल है कि आज भी हम इसको काफी अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। यह जो बोर्ड बनाने की बात है, मैं समझता हूं कि यह इस दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन यदि हम इसको सही रूप में implement करेंगे, तो फिर से इस क्षेत्र के किसान, मजूदर, लेबर, सबको हम अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। इसलिए यह एक अच्छा प्रयास है, जिसके कारण मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाने की कोशिश करूंगा।

उपसभापति जी, अभी भी लगभग 40 लाख से अधिक किसान और उनके परिवार इस पर निर्भर करते हैं। एक बड़ा क्षेत्र, बड़ा फार्मिंग का क्षेत्र आज इसके अंतर्गत है। किसी जमाने में तो कॉटन के अलावा कोई और कैश क्रॉप नहीं हुआ करती थी, आज भी हम इसको फिर से कैश क्रॉप के रूप में विकसित कर सकते हैं। जिस प्रकार से सारे वैस्टर्न रीजन में कॉटन है, उसी प्रकार से ईस्टर्न रीजन में हम जूट को उसके समकक्ष लाकर, उसके नए-नए प्रयोग और नयी चीजों को लाकर खड़ा कर सकते हैं। वह एक बड़ा क्षेत्र है, वहां पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए जहां पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, वहां निश्चित रूप से इस फसल को अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। आज लगभग 40 लाख से ज्यादा फार्मिंग फैमिलीज इसके साथ हैं, इसके अलावा लगभग 3 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्स आज की स्थिति में भी इसमें काम कर रहे हैं और लगभग डेढ़ लाख लोग इससे जुड़े हुए सैक्टर में काम कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर हम देखें तो लगभग 50 लाख से अधिक परिवार और उससे जुड़ा हुआ जो बाकी का व्यापार होता है, ये सब आज भी इस जूट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, इसके प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इसको विकसित करने के लिए, इसको व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए नए-नए रिसर्च और डेवलपमेंट की आवश्यकता है।

उपसभापति जी, हम देखते हैं कि बंगला देश में आज इसके रेशे से इतना अच्छा सुपरफाइन रेशा तैयार किया जा रहा है, जिसे साड़ियों में मिक्स किया जा रहा है और उससे बनी हुई साड़ियां, उससे बने हुए वस्त्र आज सारी दुनिया में फैले हुए हैं। हमने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है। जब अंग्रेजों ने उस इलाके में बड़ी-बड़ी मिलें लगाई थीं उस समय जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया हुआ करती थी, बड़ी-बड़ी मिलें बनाई गईं, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में कोलकाता में और बाकी जगहों पर स्थिति यह बनी कि धीरे-धीरे वे इंडस्ट्रीज तो खत्म हुईं, लेकिन

उनकी जमीनों को बेचा जाने लगा, जैसे टैक्सटाइल मिलें, मुंबई में बंद हुईं, उसी प्रकार से ये जूट मिलें भी बंद होनी शुरू हुईं और वे जमीनें, जो किसी समय शहर के बाहर थीं, अब वे शहर के बीच में आ गई हैं, अब वे जमीनें करोड़ों रुपयों की हो गई हैं, इसलिए इंडस्ट्री मालिक उन मिलों को चलाने के बजाय, उन पर मॉल्स बनाना और दूसरी चीजें करना बेहतर समझते हैं। इसलिए शासन को इसके बारे में बोर्ड बनाने के अलावा, उन सारी जमीनों के बारे में, जो उस जमाने में केवल जूट इंडस्ट्री के लिए दी गई थीं और उस समय सरकार के द्वारा दी गई थीं, उन सब पर भी नियंत्रण करने के बारे में विचार करना पड़ेगा, ताकि वे सारी इंडस्ट्रीज फिर से चल सकें, अन्यथा जिस तरह उन्होंने टैक्सटाइल मिलों की जमीनों को बेचा है, उसी तरह से ये जूट मिलों की जमीनें भी बिक जाएंगी और इनको फिर से डेवलप करने के लिए हमें फिर से किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करना पड़ेगा और फिर इसमें नए पेंच पड़ेंगे। इसलिए इसमें जो भी चीजें आई हैं, मैं उनकी और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिकमंडेशंस में कुछ बातें कही थीं, लेकिन मैंने बिल में देखा है कि उस तरह की चीजें बिल में नहीं आई हैं, क्योंकि जब इस बोर्ड का फॉर्मेशन होगा, उस बोर्ड में जो मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स का जो फॉर्मेशन है, उसमें farmers बहुत कम रखे गए हैं, इसमें किसानों का भी प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें हम ज्यादातर देखते हैं कि इन्होंने अलग-अलग और मिनिस्ट्रीज का रिप्रैजेंटेशन ज्यादा कर दिया है, उसको ज्यादा महत्व देने की बात कही गई है। जो बिल लोक सभा में पारित हुआ है, उसे आप देख लें। उस बोर्ड में मेम्बर इस प्रकार से रखे गए हैं, "three members of the jute farmers of which one from a State of West Bengal and two from other States on rotational basis to be nominated by the Central Government." यानी पश्चिमी बंगाल का एक सदस्य होगा, जहां इतना बड़ा काम होना है, इसके अलावा दो अन्य सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल मिला कर किसानों का प्रतिनिधित्व तीन होगा। इसके बाद "three members of the jute workers of which one from the State of West Bengal, two from the other States nominated by the Central Government on rotational basis." उसमें भी तीन होंगे और जो चार सदस्य इन्होंने रखे हैं, "two experts in the field of jute", और दो दूसरे सदस्य होंगे। इस प्रकार से कुल मिला कर दस सदस्य होते हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो पाएंगे कि इस बोर्ड में किसानों का प्रतिनिधित्व मात्र तीन है, जब कि नॉर्थ ईस्ट के कितने ही स्टेट्स इसमें शामिल किए गए हैं। आपने इसमें लेबर का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम रखा है। आपने इसमें ज्यादातर सेन्ट्रल एजेंसी और मिनिस्ट्री को involve करने की कोशिश की है। इस प्रकार से यह केन्द्र सरकार द्वारा शासित बोर्ड बन जाएगा और वह उसी प्रकार चलेगा, जिस प्रकार अन्य बोर्ड और bureaucracy चलती है। इस बिल के माध्यम से जो हम कल्पना कर रहे हैं कि यह वास्तव में जूट उद्योग को बढ़ावा देगा, यह उस क्षेत्र के किसानों को बढ़ावा देगा, cash crop अच्छी तरह से तैयार होगी। उसके बाद जूट की जो बहुउपयोगिता है, उसके लिए जो रिसर्च और काम होना चाहिए, आपने इसमें रिसर्च की उपयोगिता रखी है, लेकिन आप देखें कि आपने इसमें फूड एण्ड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री को रखा है। आप फूड एण्ड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री के बजट प्रोविजन वगैरह को निकलवा कर देख लें। आज की तारीख में उनके पास जूट प्रोसेसिंग की एक भी रकीम नहीं है और आप उस मिनिस्ट्री को इसमें involve कर रहे हैं। इसके बजाय आप केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को रखते और यह compulsion करते कि जो फर्टिलाइजर आज पॉलीथीन के बैग में पैक किया जा रहा है और उसको सप्लाई किया जा रहा है, उसको आने वाले पांच साल में धीरे-धीरे उसकी जगह जूट के बैग का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप इस मिनिस्ट्री को रखें और उसको इस बात के लिए compulsion करें, इस बात के लिए कोशिश करें कि धीरे-धीरे पूरी तरह से प्लास्टिक बैग को खत्म करके जूट बैग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा और भी जगह हैं जहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे, सीमेंट का मामला है और बाकी दूसरी इस तरह की चीजें है, उन इंडस्ट्रीज में आप जूट के बैग, उसके अंदर कुछ और पैकिंग हो जाता, जिससे उस बैग से सीमेंट वगैरह बाहर नहीं निकले, का प्रयोग करके, जानकारी लेकर, डेवलपमेंट करके, उसके बैग को नए तरीके से बनाकर यदि इसका प्रयोग करेंगे, तो ये प्लास्टिक बैग के कारण जो असुविधा हो रही है, उससे बचा जा सकता

है। इस तरह से जूट बोर्ड बनाने का जो उद्देश्य है, वह पूरा हो पाएगा, अन्यथा मैं सोचता हूं कि केवल एक बोर्ड बना दिया जाएगा, उसमें एक चेयरमेन सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा, कुछ मेंबर्स बन जाएंगे और यह केवल एक formality बन कर रह जाएगी।

आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्लास्टिक के कारण प्रदूषण हो रहा है। इससे हर आदमी परेशान है, इससे पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, नालियां जाम हो जाती हैं, जानवर उसको खा लेते हैं, वह अलग मरते हैं और इस तरह से बहुत कुछ नुकसान होता है। आज सारी दुनिया में प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चल रहा है और हम इसको समाप्त करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको जूट के scientifically research पर ध्यान देना होगा कि जूट से क्या-क्या चीजें बन सकती हैं, जूट के रेशे कैसे तैयार हो सकते हैं और यह कितने अच्छे modern technology के साथ हो सकता है। आपको इसे modern technology के साथ जोड़ कर करना पड़ेगा, Environment के साथ जोड़ कर करना पड़ेगा ताकि प्लास्टिक का प्रयोग बंद हो। यदि आप ये सारी चीजें साथ-साथ करेंगे तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से जूट उद्योग की इस बोर्ड की उपयोगिता को सिद्ध कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आज तक जिस तरह से हमने अन्य बोर्ड बनाए हैं, उसी तरह से यह बोर्ड भी एक औपचारिकता बन कर रह जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन सब बातों को ध्यान में रखें और आप इसमें किसानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाएं। यदि आप इसमें केन्द्र सरकार और मिनिस्ट्री के दस सदस्य रख रहे हैं, तो आप इसमें कम से कम दस किसान जरूर रखें। हर एक स्टेट का कम से कम एक प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए, ताकि उस स्टेट की क्या requirement है, वहां किसानों को क्या-क्या तकलीफें आ रही हैं, उन सबको वह अच्छी तरह रख सके।

दूसरी बात यह है कि हर crop की एक मिनिमम प्राइस तय होती है, आप sugar cane की प्राइस तय करते हैं। बाकी की चीजों के आप प्राइस तय करते हैं। यद्यपि शुगरकेन की प्राइस आप तय करते हैं, मिलों को यह बाध्यता होती है कि वे उसी में किसान को पेमेंट करें। इसमें भी आपको प्राइसेज के बारे में तय करना होगा, वरना आप यह सब करेंगे और यदि जूट की कीमत किसान को नहीं मिली, तो वह दूसरी खेती की तरफ आकर्षित होता चला जाएगा और फिर हमारा यह कुछ काम में नहीं आएगा। इसलिए इसकी जो वास्तव में लागत है, जो प्रॉफिट होना चाहिए....आज ही एक रिपोर्ट आई है कि प्रतिदिन 42 किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। आज की तारीख में भी 42 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं ! हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब हम इस बोर्ड को बना रहे हैं, तो इस बोर्ड के साथ इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि जूट उद्योग से जुड़े हुए, जूट की खेती करने वाले किसान को बराबर अच्छा मूल्य मिले, ताकि वह और ज्यादा अच्छी खेती कर सके, ज्यादा से ज्यादा जूट उद्योग की ओर किसान जा सकें, तभी यह इंडस्ट्री पनप पाएगी, तब जाकर इस बोर्ड की उपयोगिता सिद्ध होगी। इसके प्राइस के बारे में भी आप कुछ मापदंड तय करें, इसके लिए कुछ इस प्रकार के प्रोविजन जरूर डाले जाएं, जिस प्रकार शुगरकेन का होता है, जिस प्रकार से अन्य चीजों का होता है, ऐसा इसके लिए भी आपको करना होगा, अन्यथा मिलों के भरोसे हम इनको नहीं छोड़ सकते, इंडस्ट्री के भरोसे इनको नहीं छोड़ सकते-इसलिए इन सारी चीजों का यदि माननीय मंत्री जी ध्यान रखेंगे, तो मैं सोचता हूं कि जो बोर्ड है, वह अपने इस गठन को सही सिद्ध कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI SILVIUS CONDPAN (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support this Bill which has been brought before this House by the Government to see that the jute farmers and jute production get the kind of attention that it deserves which, otherwise, is not getting from the Government so far. Sir, if I am not wrong, Assam - in the North-Eastern Region — is the next important jute producing State after West Bengal. I remember very well that earlier jute was very popularly cultivated by farmers. But, we have observed that gradually in our area the jute production has come down, because farmers have not got the real support price for their produce which they should have got. And, more over, there is no organisation to look after various issues pertaining to

jute, except the Jute Corporation of India. Sir, Jute Corporation of India is only interested in buying jute and has its own marketing. The jute farmers are totally deprived of everything. As a result of this, slowly, the jute production in Assam and its neighbouring areas in the North-Eastern Region has come down. The farmers are not getting incentives from the Government, either from the State or the Central Government. Now, I am very happy to say that the Government has brought forward this Bill which contains far-reaching measures to safeguard the interests of farmers, also increase the production of jute and, thereby, bring jute production on the industrial map of the country. If it is not on the industrial map of India, at least, jute industry will come on to the surface again, Sir, senior Member who spoke before me from the other side has said that there should be protection to jute growers in this Bill. In this Bill, except certain nominal mention of giving representation to jute producing farmers, there is no other mention in the proposed Bill that the jute farmers will get adequate protection from the Government, both from the Central and the State. Now, I do not see any co-ordination mechanism in the proposed Bill between the State Governments and the Jute Body. So, I draw the attention of the hon. Minister and request him to see that there should be striking provisions in the Bill with regard to duties of the jute growing States, co-ordination with farmers with that of the policy of the Central Government so that, principally, the jute-growers as the tea planters get sufficient attention from the Government, both at the Centre as well as the States – who are equally important cash-crop-producers also get the same attention. If they would get due attention, they would definitely produce quality jute, and only then the intention of the Government, through this Bill, to constitute the Jute Board of India will really be fruitful, otherwise the Board will remain only in the namesake. Provisions have been made in the Act to protect the jute farmers, to enhance their production and to enhance the quality production. Likewise, many other encouraging things have been mentioned in this Act. It is very encouraging to go through it. But as my former speaker has expressed his apprehensions about the constitution of the Board, it does not sufficiently mention that there would be adequate representation of farmers in the Board. I would also like to draw the attention of the Government to see that some arrangement is made so that the jute farmers get due protection. In my State, I have experienced that the jute farmers agitate against the State Government, but the State Government has no jurisdiction to assure them a support price. So, the farmers commit suicide. Now, they have abandoned the production of jute in that area. During the British regime, in our early childhood days, we had seen that abundant quantity of jute would be produced in Assam because the valley area of Assam was very much congenial to production of jute and paddy. It was known as the granary of both, jute and rice. But, now, the jute has almost disappeared. It has become a small commodity of production. But there used to be a large quantity of production, next to West Bengal. That's why I am grateful to the Government for bringing forward this piece of legislation. Now, hopefully, this area is going to be paid due attention. But I am only expressing my concern and drawing the attention of the hon. Minister that there is nothing very clearly mentioned about the role of State Government to make this Board effective. It is also mentioned that the Board will remain in Kolkota. I don't want to dispute that. I am happy that it is nearer to Assam. But the agencies, which will be spread out in different jute-producing areas, also need to be empowered so that they may protect the interests of the jute farmers. They will regulate the jute market. They will also have a role in deciding the support price for jute farmers. Jute is much more important than other agricultural crops because it is a cash crop. But this cash crop has gone

out of scenario. It is very alarming because, this being a cash crop, the industry was also bringing in a lot of revenue to the Government; and, the States, where it was being grown, were also earning a good revenue. Farmers were also becoming economically better. Still the farmers would like to grow more and more jute, as compared to other crops, if they get due protection. And, with this Bill – when they would come to know that they were going to have some legal protection for jute growing, for promoting quality jute they will be given technical know-how by the Government – they will be earning a lot more than by growing other crops. I am really very happy to go through this Bill. I support this Bill. Once this Bill is passed, the Government will be doing an immensely good job for the welfare of the jute farmers, for the promotion of the jute industry. And, thus, we will be able to enhance the State economy and the Central economy by promoting the interests of the jute growers, and thereby, the jute industry. With these words, I support this Bill. I conclude, Sir.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल): सर, मेरी सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उर्दू हिन्दी मिलाकर तकरीर करता हूं। लेकिन रिकार्डिंग सिर्फ हिन्दी में होती है उर्दू में होती नहीं है। हालांकि यहां उर्दू का भी इंतजाम है। इसलिए दोनों जुबानों में होनी चाहिए।

श्री उपसभापति: उर्दू में भी होती है। लेकिन आपको पहले बतलाना होगा कि किस जुबान में बोलेंगे। फिर हो जाएगी ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद अमीन: मेरे दिल में तमाम जुबानों की इज्जत है, कदर है। हिन्दी उर्दू की तो और भी ज्यादा है।

सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जूट बोर्ड के सिलसिले में यह जो बिल आया है, मैं इसकी हिमायत करता हूं। मगर वह बहुत देर से आया है, जबकि यह बीसों वर्ष पहले आना चाहिए था। लेकिन देर से आया, तो भी अच्छी बात है। मगर इस सिलसिले में एक तो मेरा भी यह अहसास है कि इसमें किसानों और मजदूरों की नुमाइंदगी बहुत कम है, जो बढ़नी चाहिए। इसके अलावा जूट इण्डस्ट्री में जो असल खेल होता है, वह मैं आपके माध्यम से हाउस को बतलाना चाहता हूं। मैंने खुद भी पांच साल तक एक जूट मिल में काम किया है, जिंदगी के शुरू में जब मेरी उम्र 14 साल की थी, सैकंड वर्ल्ड वार के जमाने में। मजदूरों का हाल भी मुझे मालूम है और अब तक 60 साल से ज्यादा हो गया तब से मैं जूट यूनियन के साथ मुंसलिक हूं। सर, इसमें असल खेल क्या होता है, सरकार ने बहुत पहले जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया हुआ है और उसका मकसद यह था कि किसानों को बचाने के लिए पाट की मोनोपोली खरीदारी जे.सी.आई. करे। लेकिन इस पर पूरी तरह अमल कभी नहीं हुआ। जूट की फसल सितम्बर के महीने में आती है। उस वक्त चटकलों के मालिक क्या करते हैं कि वे खरीदारी रोक देते हैं। जब खरीदारी रूक जाती है तो पाट का भाव गिर जाता है और उस वक्त जे.सी.आई के पास भी पैसा नहीं रहता कि वह सपोर्ट प्राइस देकर के खरीदारी करे। नतीजा यह होता है कि जब पाट का दाम बिल्कुल गिर जाता है, तो सस्ते दाम में चटकल के मालिक खरीद करके उसको अपने गोदामों में भर लेते हैं और उसके बाद वे ऊंचा दाम दिखाते हैं और इस तरह अरबों रुपए का मुनाफा यहीं से चला जाता है। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि सरकार जे.सी.आई. को सफिसिएंट फंड दे और वह मोनोपोली खरीदारी करे, तभी किसान बच सकते हैं और इससे किसानों को बचाने का दूसरा रास्ता नहीं है। इसमें जवानी हमदर्दी से कोई फायदा नहीं होने वाला है।

जहां तक मजदूरों का सवाल है, इस वक्त मजदूरों की हालत ऐसी है कि बंगाल में ज्यादातर कल-कारखाने हैं। उसमें चटकल के मालिक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को मानते नहीं हैं। इण्डस्ट्रीय डिस्पुट ऐक्ट है, ठीक है। लेकिन वे एग्रीमेंट को मानते नहीं हैं तथा यूनिफार्म वेज भी नहीं है। एक ही कारखाने में चालीस रुपया, पचास रुपया, साठ रुपया रोज पर मजदूर काम करते हैं, जबकि अजरुये मुआहिदा उनको कम से कम ढाई सौ रुपया रोज मिलना चाहिए। देश में बेकारी फैली हुई है, जिसका फायदा उठाकर उनको सस्ते दाम में मजदूर मिल जाते हैं और मजदूर के खिलाफ मजदूर को खड़ा करके अपनी तिजोरी भर लेते हैं। सर, अभी देखिए, इस वक्त जब हम बहस कर रहे हैं

तो बंगाल में जूट इण्डस्ट्री में पहली तारीख से स्ट्राइक चल रही है। आज पंद्रह दिन हो गए हैं। इसमें मजदूरों की यह मांग है कि जो ट्राइपार्टाइट मुआहिदा हुआ है, उसको माना जाए तथा डियरनैस एलाउंस दिया जाए। मालिकों ने उनका महंगाई भत्ता रोक दिया है, बाजार की महंगाई बढ़ती चली आ रही है। जब महंगाई बढ़ती है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ता है और यह कानून है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक महंगाई भत्ता बढ़ेगा, लेकिन आज कई साल से वे दे नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। यह बात सही नहीं है। चटकल के मालिक आज भी मुनाफा कर रहे हैं, लेकिन वह मजदूरों को ठग रहे हैं, उनकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए जूट बोर्ड को भी इस मामले को देखना पड़ेगा कि यूनिफार्म वेजेज हो और वर्किंग कंडीशन्ज भी एक-सी हों और उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट मजदूरों को मिले। मजूदरों को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जो मजदूर रिटायर हो जाते हैं, उनकी ग्रेच्युटी रोक दी जाती है, उसे देते नहीं हैं, वह कहते हैं कि जब पैसा होगा, तब इसे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्हें कौन-सा कानून इस बात की इजाजत देता है? नतीजा क्या होता है, जब मजदूर गेट के बाहर चला जाता है, तो उसकी आमदनी बंद हो जाती है, उसे ग्रेच्युटी भी नहीं मिलती है, वह भिखारी बन जाता है, उसके जो रिश्तेदार हैं, वे भी बहुत गरीब हैं, वे भी उसको सहारा नहीं दे पाते हैं, इसलिए या तो वह कर्ज ले या भीख मांगे और जिंदगी में बेइज्जत होकर दुनिया से रुखसत हो, इसके सिवाय चटकल मजदूर के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह बहुत दर्दनाक दास्तान है।

कोई भी कानून हमारे देश में अगर मजदूरों और किसानों की हिफाजत नहीं कर सकता है, तो वह कानून कोई कानून नहीं है, क्योंकि अगर इस देश में किसान और मजदूर दुखी रहेगा, तो सारा देश दुखी रहेगा। मजदूरों और किसानों को छोड़कर के देश के कोई मायने नहीं होते हैं।

महोदय, इसके अलावा सिंथेटिक का सवाल है। इस पर मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह से रखा है। सारी दुनिया के मुमालिक सिंथेटिक जहरीला मादक पैदा करते हैं। खाने-पीने की किसी भी चीज की पैकिंग सिंथेटिक में नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में डाक्टर्स ने मना किया है, उन्होंने बार-बार वार्निंग दी है, इससे तरह-तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। सिंथेटिक के आ जाने की वजह से चटकल उद्योग को खतरा पैदा हो गया है। जो इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी है, वह हर साल इस बात का फैसला करती है कि अगले साल जूट में कितना पैकेजिंग होगा। इस साल उन्होंने यह सिद्धान्त किया था कि शुगर हंड्रेड परसेंट, फूड ग्रेन हंड्रेड परसेंट, लेकिन यह तभी होगा जब चट के बस्ते का अनइंटरेप्टिड सप्लाई हो, यह एक शर्त लगा दी। इस शर्त को लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, इस शर्त को लगाने का मतलब यह हुआ कि मजदूरों के खिलाफ अगर बेइंसाफी भी हो, तो वे स्ट्राइक पर नहीं जा सकेंगे, उनके दिल में एक डर रहेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब सारी दुनिया से सिंथेटिक रुखसत हो रहा है, तो हिन्दुस्तान में क्यों रहेगा, यह रहना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चट के जो रेशमी रेशे होते हैं, वे बहुत अच्छे होते हैं, उनसे कपड़े बन सकते हैं, साड़ियां बन रही हैं, हर किस्म का उससे कपड़ा बन सकता है। इसके बने हुए कपड़े ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा आरामदेह होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादा सस्ते होंगे। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो मजदूरों को इससे रिलीफ मिल जाएगा। डायवर्सिफिकेशन के ऊपर केन्द्रीय सरकार ने एक जमाने में कुछ रुपया रखा था। मालिकों ने वह रुपया लिया भी, लेकिन वे डायवर्सिफिकेशन की तरफ नहीं गए और पैसा हड़प कर गए। अब यहां तो एक दिलचस्प बात यह भी देखने में आती है कि चटकल के मालिक या दूसरे उद्योग के मालिक आईडीबीआई बैंक या किसी अन्य बैंक से लोन लेते हैं, उसे वे हड़प कर जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी सजा नहीं मिलती है और अगर गरीब आदमी कोई कर्ज लेता है, तो बैंक वाले उसके सीने पर वसूली के लिए चढ़ जाते हैं, यह तमाशा भी हो रहा है। इसलिए अगर जूट बोर्ड इफेक्टिवली काम करे और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, उसमें बोर्ड के मेम्बर चुनते हुए, उन लोगों को तरजीह दी जाए जो जूट इंडस्ट्री से वाकिफ हों और वे हैल्प कर सकते हैं या नहीं, भीड़ जमा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर काम के लोग मिलें, तो जूट इंडस्ट्री आज भी हिन्दुस्तान की बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। आज भी वह फॉरेन एक्सचेंज ला रही है, उससे हमारे बैलेंस आफ पेमेंट की पोजिशन बेहतर बनती है। यह एक्सपोर्ट और बढ़ सकता है, क्योंकि जिन मुल्कों में सिंथेटिक पर पाबंदी लग गयी है, वे सब जूट का बस्ता खरीद रहे हैं। अगर हम लोग भी मिलकर इसके लिए कोशिश करें, तो यह पूरे ईस्टर्न इंडिया में, आपने कहा है कि पचास लाख लोगों की परवरिश इससे होती है, लेकिन मेरा हिसाब यह बताता है कि तकरीबन एक करोड़ लोगों की परवरिश इससे होती है। इसलिए इसको बचाना देश के स्वार्थ के लिए बहुत जरूरी है। मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे, इस बात की उम्मीद रखकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

]† **شری محمد امین (پشچمی بنگال) :** سر، میری سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اردو-ہندی ملا کر تقریر کرتا ہوں، لیکن ریکارڈنگ صرف ہندی میں ہوتی ہے اردو میں ہوتی نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں اردو کا بھی انتظام ہے۔ اس لئے دونوں زبانوں میں ہونی چاہئے۔

شری اپ سبھا پتی: اردو میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پہلے بتلانا ہوگا کہ کس زبان میں بولیں گے۔ پھر ہو جائے گی۔مداخلت۔

شری محمد امین: میرے دل میں تمام زبانوں کی عزت ہے، قدر ہے۔ ہندی-اردو کی تو اور بھی زیادہ ہے۔

سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جوٹ بورڈ کے سلسلے میں یہ جو بل آیا ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ مگر وہ بہت دیر سے آیا ہے، جبکہ یہ بیسوں ورش پہلے آنا چاہئے تھا۔ لیکن دیر سے آیا، تو بھی اچھی بات ہے۔ مگر اس سلسلے میں ایک تو میرا بھی یہ احساس ہے کہ اس میں کسانوں اور مزدوروں کی نمائندگی بہت کم ہے، جو بڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جوٹ انڈسٹری میں جو اصل کھیل ہوتا ہے وہ میں آپ کے مادھیم سے ہاؤس کو بتلانا چاہتا ہوں میں نے خود بھی پانچ سال تک ایک جوٹ مل میں کام کیا ہے، زندگی کے شروع میں جب میری عمر 14 سال کی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں۔ مزدوروں کا حال بھی مجھے معلوم ہے اور اب تک 60 سال سے زیادہ ہو گیا تب سے میں جوٹ یونین کے ساتھ منسلک ہوں۔ سر، اس میں اصل کھیل کیا ہوتا ہے، سرکار نے بہت پہلے جوٹ کارپوریشن آف انڈیا بنایا ہوا ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسانوں کو بچانے کے لئے پاٹ کی مونوپولی خرید کر جے۔سی۔آئی۔ کرے۔ لیکن اس پر پوری طرح عمل کبھی نہیں ہوا۔ جوٹ کی فصل ستمبر کے مہینے میں آتی ہے۔ اس وقت چٹکلوں کے مالک کیا کرتے ہیں کہ وہ خریداری روک دیتے ہیں۔ جب خریداری رک جاتی ہے تو پاٹ کا بھاؤ گر جاتا ہے اور اس وقت جے۔سی۔آئی۔ کے پاس بھی پیسہ نہیں

[] † Translation in Urdu Scrip

رہتا کہ وہ سپورٹ پرائس دےکر کے خریداری کرے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پاٹ کا دام بالکل گر جاتا ہے تو سستے دام میں چٹکل کے مالک خرید کرکے اس کو اپنے گوداموں میں بھر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اونچا دام دکھاتے ہیں اور اس طرح اربوں روپے کا منافہ یہیں سے چلا جاتا ہے۔ اس کو روکنے کا ایک ہی اپائے ہے کہ سرکار جےسی۔آئی۔ کو سفیشنٹ فنڈ دے اور وہ مونوپولی خریداری کرے، تبھی کسان بچ سکتے ہیں اور اس سے کسانوں کو بچانے کا دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس میں زبانی ہمدردی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔

جہاں تک مزدوروں کا سوال ہے، اس وقت مزدوروں کی حالت ایسی ہے کہ بنگال میں زیادہ تر کل-کارخانے ہیں۔ اس میں چٹکل کے مالک ٹرائی پارٹ ٹائٹ ایگریمنٹ کو مانتے ہیں ہیں۔ انڈسٹریل ڈسپیوٹ ایکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ایگریمنٹ کو مانتے نہیں ہیں اور یونیفارم ویج بھی نہیں ہے۔ ایک ہی کارخانے میں چالیس روپیہ ، پچاس روپیہ، ساٹھہ روپیہ روز پر مزدور کام کرتے ہیں۔ جبکہ ازروئے معاہدہ ان کو کم سے کم 250 روز ملنا چاہئے۔ دیش میں بےکاری پھیلی ہوئی ہے، جس کا فائدہ اٹھاکر ان کو سستے دام میں مزدور مل جاتے ہیں اور مزدور کے خلاف مزدور کو کھڑا کرکے اپنی تجوری بھر لیتے ہیں۔

سر، ابھی دیکھئے، اس وقت جب ہم بحث کر رہے ہیں تو بنگال میں جوٹ انڈسٹری میں پہلی تاریخ سے اسٹرائک چل رہی ہے۔ آج پندرہ دن ہو گئے ہیں۔ اس میں مزدوروں کی یہ مانگ ہے کہ جو ٹرائی پارٹ ٹائٹ معاہدہ ہوا ہے، اس کا مانا جائے اور ٹنرنیس الاؤنس دیا جائے۔ مالکوں نے ان کا مہنگائی بھتہ روک دیا ہے، بازار کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو کنزیومر پرائس انڈیکس بھی بڑھتا ہے اور یہ قانون ہے کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق مہنگائی بھتہ بڑھے گا، لیکن آج کئی سال سے وہ دے نہیں رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ چٹکل کے مالک

آج بھی منافع کر رہے ہیں، لیکن وہ مزدوروں کو ٹھگ رہے ہیں، ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لئے جوٹ بورڈ کی بھی اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا کہ یونیفارم ویجیز ہو اور ورکنگ کنڈیشنز بھی ایک سی ہوں اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ بینیفٹ مزدوروں کو ملے۔ مزدوروں کوسوشل سیکورٹی ملنی چاہیے۔ جو مزدور ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی گریچوٹی روک دی جاتی ہے، اس دیتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب پیسہ ہوگا، تب اسے دیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب مزدور گیٹ کے باہر چلا جاتا ہے، تو اس کی آمدنی بند ہو جاتی ہے، اسے گریچوٹی بھی نہیں ملتی ہے، وہ بھکاری بن جاتا ہے، اس کے جو رشتے دار ہیں، وہ بھی بہت غریب ہیں۔ وہ بھی اس کا سہارا نہیں دے پاتے ہیں، اس لئے یا تو یہ قرض لے یا بھیک مانگے اور زندگی میں بے عزت ہوکر دنیا سے رخصت ہو، اس کے سوائے چٹکل مزدور کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ بہت دردناک داستان ہے۔

کوئی بھی قانون ہمارے دیش میں اگر مزدوروں اور کسانوں کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو وہ قانون کوئی قانون نہیں ہے، کیونکہ اگر اس دیش میں کسان اور مزدور دکھی رہے گا، تو سارا دیش دکھی رہے گا۔ مزدوروں اور کسانوں کو چھوڑ کر کے دیش کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں۔

مہودے، اس کے علاوہ سنتھیٹک کا سوال ہے۔ اس پر میرے سے پہلے بولنے والے ماننے سدسنے نے اپنا پکش بہت اچھی طرح سے رکھا ہے۔ ساری دنیا کے ممالک سنتھیٹک زہریلا مادک پیدا کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی کسی بھی چیز کی پیکنگ سنتھیٹک میں نہیں ہونی چاہئے، اس کے بارے میں ڈاکٹرس نے منع کیا ہے، انہوں نے بار بار وارننگ دی ہے، اس سے طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ سنتھیٹک کے آ جانے کی

وجہ سے چٹکل ادھیوگ کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو انٹر-منسٹریل کمیٹی ہے، وہ ہر سال اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اگلے سال جوٹ میں کتنا پیکجنگ ہوگا۔ اس سال انہوں نے یہ سدھانت کیا تھا کہ شوگر ہنڈریڈ پرسینٹ، فوڈ گرین ہنڈریڈ پرسینٹ، لیکن یہ تبھی ہوگا جب چٹ کے بستے کا ان-انٹرویٹڈ سپلائی ہو، یہ ایک شرط لگا دی۔ اس شرط کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس شرط کو لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ مزدوروں کے خلاف اگر بےانصافی بھی ہو، تو وہ اسٹرائک پر نہیں جا سکیں گے، ان کے دل میں ایک ڈر رہے گا۔ ایسا تو نہیں ہوا چاہئے۔ جب ساری دنیا سے سنتھیٹک رخصت ہو رہا ہے، تو ہندوستان میں کیوں رہے گا، یہ رہنا نہیں چاہئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چٹ کے جو ریشمی ریشے ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان سے کپڑے بن سکتے ہیں، ساڑیاں بن رہی ہیں، ہر قسم کا اس سے کپڑا بن سکتا ہے۔ اس کے بنے ہوئے کپڑے زیادہ مضبوط ہوں گے، زیادہ آرام دہ ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیادہ سستے ہوں گے۔ اگر اس کے اوپر دھیان دیا جائے تو مزدوروں کو اس سے ریلیف مل جائے گا۔ ڈائورسی-فکیشن کے اوپر کیندریہ سرکار نے ایک زمانے میں کچھ روپیہ رکھا تھا۔ مالکوں نے وہ روپیہ لیا بھی، لیکن وہ ڈائورسی-فکیشن کی طرف نہیں گئے اور سارا پیسہ ہڑپ کر گئے۔ اب یہاں تو ایک دلچسپ بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ چٹکل کے مالک یا دوسرے ادھیوگ کے مالک آئی۔ڈی۔بی۔آئی۔ بینک یا کسی دوسرے بینک سے لون لیتے ہیں، اسے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن انہیں کبھی سزا نہیں ملتی ہے اور اگر غریب آدمی کوئی قرض لیتا ہے تو بینک والے اس کے سینے پر وصولی کے لئے چڑھ جاتے ہیں، یہ تماشہ بھی ہو رہا ہے۔ اس لئے اگر جوٹ افیکٹولی کام کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ منتری جی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں گے، اس میں بورڈ کے ممبر چنتے ہوئے، ان لوگوں کو ترجیح دی جائے جو جوٹ انڈسٹری سے واقف ہوں اور وہ ہیلپ کر سکتے ہیں یا

نہیں، بھیڑ جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کام کے لوگ ملیں، تو جوٹ انڈسٹری آج بھی ہندوستان کی بہت امپورٹینٹ انڈسٹری ہے۔ آج بھی وہ فارن ایکسچینج لا رہی ہے، اس سے ہمارے بیلینس آف پیمینٹ کی پوزیشن بہتر بنتی ہے۔ یہ ایکسپورٹ اور بڑھ سکتا ہے، کیوں کہ جن ملکوں میں سنتھیٹک پر پابندی لگ گئی ہے، وہ سب جوٹ کا بستہ خرید رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی مل کے اس کے لئے کوشش کریں، تو یہ پورے ایسٹرن انڈیا میں، آپ نے کہا ہے کہ پچاس لاکھ لوگوں کی پرورش اس سے ہوتی ہے، لیکن میرا حساب یہ بتاتا ہے کہ تقریبا ایک کروڑ لوگوں کی پرورش اس سے ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو بچانا دیش کے سوارتھ کے لئے بہت ضروری ہے۔ منتری جی اس بات پر دھیان دیں گے، اس بات کی امید رکھ کر میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔

"ختم شد"

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): माननीय उपसभापति जी, मैं सिद्धांततः इस बात को स्वीकृत करता हूं और इससे सहमत हूं कि यह राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2008 इस सदन में लाया गया है। अभी माननीय सदस्य महोदय ने जिस प्रकार की बात कही है, चाहे वह एम्पलॉइमेंट के संबंध में हो, चाहे पर्यावरण के संबंध में हो, चाहे जूट के उद्योग में वर्षों से आने वाली बाधाएं हों और चाहे आज की दृष्टि से 1 दिसम्बर से चलने वाली हड़ताल हो। इन सब बातों से मुझे लगता है कि आज जो यह विधेयक इस सदन में लाया गया है, यह बहुत आवश्यक है, समीचीन है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वे इस विधेयक को बहुत देर से लाए हैं। आपने ही 2005 में जूट नीति बनाई थी, जिसमें जूट बोर्ड के बनाने का प्रावधान था और आज 2008 है। क्या आप मुझे अपने उत्तर में यह समझाने की कृपा करेंगे कि जिस बात की आवश्यकता आपने समझी है और बोर्ड की स्थापना की दृष्टि से आपने निहायत उत्तम कदम उठाना तय किया, क्या आपको इसकी आवश्यकता तीन वर्ष के बाद हुई? यह पहला सवाल है, जो सब दृष्टि से आवश्यक है और मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं।

महोदय, यह बात सच है कि जूट के उद्योग में हमें जिस प्रकार के नए-नए डेवलेपमेंट करने चाहिए थे और नई-नई रिसर्च करनी चाहिए थी, हम नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे राष्ट्रों ने की है और हम पिछड़ गए। हम लोग उन देशों से प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ गए। पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन राज्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख केन्द्र रहा है। जैसा कि आपने कहा है कि सात प्रदेश ऐसे हो गए हैं, जिनमें इस जूट उद्योग की स्थापना होकर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और इससे काम लिया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो जूट के विकल्प भी हैं, जो processing भी हैं, उनके लिए प्रदेश में समुचित प्रयास किया जाना चाहिए। जो शायद इस जूट बोर्ड विधेयक के माध्यम से हो सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस हरित क्रांति की चर्चा हमने की थी और जिससे हमें काफी लाभ भी हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास केवल इस बात के लिए

ही रहा कि हम गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाएं। जो जूट और उसके substitutes हैं, उनके विकास के लिए हमने कोई समुचित प्रबंध नहीं किया। जो दूसरे देश फिलिपीन्स और ब्राजील हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास किया और आज वे हमारे सामने बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा में आकर खड़े हो गए हैं। आज इसीलिए इस बात की आवश्यकता है कि हमें नवीनतम प्रौद्योगिकी रिसर्च इस क्षेत्र में करने चाहिए और इस दृष्टि से ही हमारा प्रयास होना चाहिए। आपने उद्देश्य में इस बात का वर्णन किया है कि इस विधेयक से यह बात परिलक्षित होगी। आप इसको पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और सिद्धांततः मैं इसकी सहमति करता हूं। इसके साथ ही मैं एक बात यह भी करना चाहता हूं कि जो इस जूट के उद्योग में stakeholders हैं, वे तीन हैं। एक तो पैदा करने वाला किसान है, दूसरा processing करने वाला कर्मकार है और तीसरा लघु मध्यम बृहत् जूट उद्योग है। इन तीनों के विकास का संबंध इस बोर्ड से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। किन्तु मुझे इस विधेयक को देखने के बाद लगता है कि राज्य सरकार को catalytic agent के नाते काम करना चाहिए। इस विधेयक को आप स्टडी कर लीजिए, ऐसा लगता है कि एक सरकारी उपक्रम बनाया गया है, एक नया उपक्रम जोड़ा गया है। तीनों stakeholders के विकास की चिन्ता इसमें की गई हो, ऐसा नहीं लगता। आप इस सारे विधेयक को देख लीजिए, इसमें सब लोगों का मनोनयन है। We are living in a democracy. This country is the biggest democracy of the world. आप बोर्ड बनाने की चिन्ता करेंगे, विधेयक लाएंगे, लेकिन सारे सदस्य मनोनीत हैं। इससे क्या होगा? अगर मनोनीत व्यक्ति आएगा, तो हां में हां मिलाएगा और हां में हां मिलाएगा, तो वह वहां के उद्योगों की कौन सी समस्या को हल करने का प्रयत्न करेगा! इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से सवाल भी करूंगा ओर उनसे चाहूंगा भी, मैंने इसी नाते से कुछ संशोधन रखने की कोशिश की है कि यह जो आपने मनोनयन की प्रथा चलाने की कोशिश इस बोर्ड के समस्त सदस्यों के निर्वाचन में की है, उस पर गंभीरता से विचार करें। मैं आपके सामने वे संशोधन रखने का प्रयास कर रहा हूं।

पहला, आपने कहा है कि इसमें सात सदस्य होंगे, जिसमें तीन प्रदेश nominate होंगे, जैसा माननीय वर्मा जी ने कहा। सात प्रदेश हैं, जो इस जूट के उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पश्चिमी बंगाल निश्चित रूप से होगा, यह बात ठीक है। बाकी बच गए छः प्रदेश। अब अगर आप केवल तीन प्रदेश लेंगे, एक तो पश्चिमी बंगाल हो गया, तो जो दो प्रदेश होंगे, छः प्रदेशों में एक प्रदेश का नम्बर दस साल के बाद आएगा। माननीय मंत्री महोदय, कृपा करके क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि अगर इसमें सातों प्रदेशों को ले लिया जाता, तो कौन सा कष्ट हो जाता? अगर प्रत्येक प्रदेश का एक-एक प्रतिनिधि इस बोर्ड में ले लिया जाता, तो संख्या बढ़ जाती। आप यह कह सकते हैं कि इससे इसमें चार संख्या बढ़ जाती। मैंने वह संशोधन इसमें रखा है कि वह चार संख्या कैसे कम होगी, इसके बारे में कृपया आप ध्यान दें। इसलिए मेरा पहला निवेदन है कि इस बोर्ड के चयन में लोगों की दृष्टि से जो सारे प्रदेश हैं, उनका प्रतिनिधि रखने की कृपा करिए। आपने उनमें भी मनोनयन रख दिया है। जो सदस्य तय किए जाएंगे, वह आप तय करेंगे। You will nominate them. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो विशिष्ट क्षेत्र के लोग हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों का चयन उनके क्षेत्र में हो, उनको जिम्मेदारी दी जाए, उनके यहां से चुन कर आएं, nomination का process समाप्त हो जाए, election का हो जाए? इसमें elected लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से वे ठीक ढंग से अपनी बात भी रख सकेंगे। Nominated लोगों से क्या संवाद होगा? वे बात तो कहेंगे, किन्तु stress will not be behind it. इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं माननीय वर्मा जी की इस बात से सहमति रखता हूं कि किसानों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में निवेश करने वालों को मनोनयन के स्थान पर उनका चयन करने की कोई-न-कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें सरकार के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं। यह आवश्यक है। वे expertise हैं, उनको क्षेत्र की जानकारी है, किन्तु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उन्हें विशेष आमंत्रित करके क्यों नहीं बुलाते, आप उनको स्थाई आमंत्रित करके क्यों नहीं बुलाते? आप उनको वोटिंग का अधिकार क्यों देते हैं? निश्चित रूप से अगर वह संख्या कम हो जाएगी, तो यह संख्या बढ़ाई जा सकती है, जो

elected लोग होंगे, जो क्षेत्र के प्रतिनिध होंगे। मैंने यह भी संशोधन दिया है। माननीय मंत्री महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपके सरकारी प्रतिनिधि हैं, उनको सदस्य बनाने की सीधी-सीधी आवश्यकता नहीं है, वोटिंग राइट देने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके उनको सलाह के लिए बुलाइए, सब प्रकार की बातें कहने के लिए बुलाइए, उनकी expertise का उपयोग कीजिए। यह संख्या जो कम होती है, आप उसका उपयोग सारे प्रदेशों के प्रतिनिधि बनाने की दृष्टि से कीजिए। मैं फाइनांस की दृष्टि से भी बोर्ड के संबंध में एक चर्चा करना चाहता हूं। इसके खंड 14 में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और ऋण दिए जाने की व्यवस्था है। जब इसमें सदस्य के रूप में राज्य सरकारें होंगी, तब क्या यह प्रावधान नहीं किया जा सकता कि राज्य सरकारें भी ऋण दें, वे भी अनुदान दें। जब व्यक्ति का अपना पैसा लगता है, वह उसका पार्टिसिपेंट हो जाता है तभी वह चिंतातुर भी रहता है कि बोर्ड की गतिविधियां ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं और वह सब बातों को समझने लगता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए भी प्रावधान बनाइए। इसमें केवल मात्र केन्द्र का ऋण और अनुदान ही नहीं मिले, बल्कि प्रदेश भी इसमें ऋण और अनुदान दें, इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

बोर्ड को कुछ न कुछ आमदनी भी होती रहनी चाहिए। अगर ये बोर्ड अपने आधार पर खड़े नहीं हुए, किसी की दया पर जीवित रहे या केवल केन्द्र सरकार की दया पर जीवित रहे तो एक समय ऐसा आएगा और ऐसे समय बहुत बार आते भी हैं, जब सरकारें बदल जाती हैं और उनके बदलने के बाद पता नहीं कभी-कभी कौन सा दुर्भाव आ जाता है कि उनको मिलने वाले अनुदान और ऋण कम हो जाते हैं और बोर्ड फेल हो जाते हैं या एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। इसके लिए जरूरी है कि वे भी अपने कुछ फाइनांसिज बनाएं और इसके लिए कोई न कोई दीर्घजीवी योजना बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि बोर्ड को अनुदान और ऋण के रूप में जो राशि प्राप्त होती है अर्थात् केन्द्र का ऋण, केन्द्र का अनुदान, प्रदेशों का ऋण, प्रदेशों का अनुदान और अपने स्वयं के संसाधनों से सृजित आय, अगर उसका 1/10वां भाग प्रतिवर्ष बचा कर रखा जा सके तो इससे उसकी अपनी एक निधि जो बोर्ड को आगे चलाने की दृष्टि से भी उपयोगी होगी।

बोर्ड के गठन के संबंध में खंड 4 में प्रावधान है, जिससे मैंने एक संशोधन भी दिया है। इसमें कर्मचारियों की सेवा के निबंधन की व्यवस्था तो की गई है, किन्तु नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, यहां आप देखिए, बोर्ड तो बन रहा है और आपने उनकी सर्विर्सिज की चिंता भी कर ली है कि क्या होगा, लेकिन उसमें नियुक्ति के लिए आपने कोई प्रावधान नहीं रखा। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, जिसके लिए मैंने एक संशोधन पेश किया है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं केवल एक-दो और बातें कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। यह बोर्ड एक ऑटोनॉमस संस्था होगी, यह बात सच है और इसका लेखा परीक्षण भी उनके अपने यहां स्वतंत्र रूप से होगा, किन्तु उसके साथ-साथ यह भी उल्लेखनीय है कि अगर बोर्ड को अनुदान मिल रहा है, ऋण मिल रहा है तो क्या यह भी प्रावधान नहीं किया जा सकता कि कम से कम पांचवे वर्ष में एक बार ऑडिटर जनरल उसकी सारी ऑडिट करें। It is a public money, इसलिए ऑडिटर जनरल को इसका ऑडिट करना चाहिए और सदन में उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए ताकि निश्चित रूप से पारदर्शिता बनी रहे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए भी आप इसमें प्रावधान करिए, जिसका संशोधन भी हमने रखा है।

जूट उद्योग की अपनी बड़ी समस्याएं हैं इसलिए उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ आर्ट प्रौद्योगिकी लाएं। जूट के साथ विभिन्न फाइबर्स का ब्लेंडिंग करने तथा उसे विविधोपयोगी बनाने की दिशा में अभी तक जो

प्रयत्न किए गए हैं, वे केवल पैरिफरी प्रकृति के हैं और इसी के कारण हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपने आपको कमजोर पाते हैं। बोर्ड के माध्यम से औद्योगिक ईकाइयों को छांट कर पुरानी अभियान्त्रिकी के स्थान पर नवीनतम व्यवस्था के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

मैंने स्पेसिफिक संशोधन, ऐक्ट के प्रत्येक प्रावधान में देने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि मैंने जो कुछ संशोधन दिए हैं, उन पर विचार करके, मेरी बात को आधार मान कर या तो आप उन्हें स्वीकार करेंगे या मुझे समझाने की कृपा करेंगे कि आप उन्हें स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं।

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, so far as the National Jute Board Bill, 2008, is concerned, it is a welcome step by the Government of India. There are many organisations for the development of jute and jute-allied sectors, namely, the National Centre for Jute Diversification; the Jute Manufacturers' Development Council; and, two or three smaller organisations also. Now all of it is transferred to the National Jute Board and is under one umbrella. The different organisations now lapse and the new one is coming out.

Firstly, in 2006, this Bill was introduced in the Lok Sabha and now it is before Rajya Sabha. Sir, jute is an important product of our country, which is earning foreign exchange. As far as the world exports are concerned, our share is 43 per cent according to the figures of 2006, and, it is increasing day by day. It is an eco-friendly product and it is a cash crop. Lakhs of farmers depend on this only product.

I must say that it is a welcome step but I have some critical observations to make so far as the Bill is concerned.

Sir, the constitution of the board has been well discussed. Before going to this, Chapter 2, I would like to mention about the permanent office of the Board. It mentions that the permanent office of the Board shall be at Kolkata, State of West Bengal. There is no problem because West Bengal is a big jute growing State. But it is further written, "or such other place..."

I find no reason as to why such clause has been incorporated meaning thereby that the Government of India may by notification change the office. I must say that this is not fair.

So far as the Members of the Board are concerned, there shall be 21 Members and one is to be nominated as the Chairman, and, most of the Members are nominated. Two-three points raised by the previous speaker about the representation of farmers are well taken. Why do you have only 3 members? I am also of the opinion that there are only six, seven jute growing States in the country. Why can't these seven become the Members? If it is not possible, there is a second option in this regard. Maybe one is permanent member, and, that is, West Bengal, and, others are to come on a rotational basis. If, in this scenario, it is not possible that other Members may become the permanent members, they can become 'invitee members'.

Sir, a discussion should take place on the development of jute sector of our country. There is one more thing, which I would like to say and that is about the representation of officials of the State Government. What is the method in this regard? At page 3, first line, it is written, "three members to be nominated by the Central Government by notification in the alphabetical order..." As far as I

know, it means the alphabetical order of the States. Andhra Pradesh will come first, followed by Assam, Bihar, Meghalaya, Orissa, Tripura and then the State of West Bengal will come in the last. I have no objection. But the State of West Bengal, which is a big State and which grows jute in a big way, will come in the last. I suppose it is hot a good method to choose the officials from the State Governments.

There is another criticism. So far as the Board is concerned, most of the people are coming by way of nomination. With regard to the representation of workers, farmers or three Members of Parliament – two from the Lower House and one from the Upper House the people – even then, it is only 3 + 3 + 3 = 9 who can talk about jute-growers and the workers etc. This is so far as Board is concerned.

My second point is about the functions. There is a mention of 21 functions. But I would like to say that we should emphasise on the micro-level diversifying unit, which belongs to the self-help groups. Most of the women are the members in these self-help groups. They are engaged in a big way so far as diversification of jute products is concerned. In my opinion, function or activity of the Board must confine to this area. In this regard I would like to say that training programmes should be there. If we are very much eager or we are intending to diversify the jute product, training is very necessary. But today, there is inadequacy of training. There is a huge demand outside our country. But, if there is no sufficient training, we are not in a position to go, in a big way, to diversify our products. In this regard, I would like to say that the training portion should be strengthened in the National Jute Board.

We have come to know and it is decided by the Government of India to establish jute parks in different parts of the country. May I know from the hon. Minister what is the present status of jute parks? In our State of West Bengal, there are three jute parks ready to take off. At least, two jute parks are in a position to take off. But, what is the outline of these jute parks? What will happen in these jute parks? We have some experience in Rajasthan. One private jute park is there in Rajasthan. It may be there in Gujarat or in some other part of the country. But, in a jute-growing State like West Bengal, Assam, Bihar, Orissa or Tripura, we have no jute park.

[The Vice-Chairman (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) in the Chair]

So, there should be a comprehensive outline provided to this. I would like to draw the attention of the hon. Minister that we should draw an exhaustive plan regarding jute parks under the Textile Ministry. It is a fact that jute growers are the worst sufferer farmers in this country. They are not getting the minimum support price. In my State there are around 40 lakh jute growers. Every time they face a crisis, they are the first to sell their products in distress. We should do something for these jute growers.

Again, I would like to mention that jute workers' strike is going on since 1st December. Jute mills are closed. The Government is in a position to interfere, specially the Government of India.

My last point, Madam, is, about role of the JCI. My colleague, Mr. Mohammed Amin has already mentioned about this. I would like to say that the JCI is a failed institution. It never comes into the picture in the market when jute is in the hands of the jute growers. When jute is in the hands of

3.00 P.M.

middlemen, the JCI will come into the picture in the market or in the mandi. So, I am in a position to say that it is a failed organisation. We must revamp the entire organisation. I would like to say that this is a welcome step. I congratulate the Textile Minister. Thank you.

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि इन्होंने जूट मिल के बारे में अच्छा वर्क करके, अच्छी स्टडी करके अच्छे सजेशन्स दिए हैं। अभी यह इको फ्रेंडली गोल्डन फाइबर स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की क्रोप है और मैं समझता हूं कि पूरे देश में इसका अच्छा उपयोग होता रहा है। पहले हमारे किसान इसे अपने एग्रीकल्चर परपज के लिए भी, चाहे बैलों को बांधना हो, या चारपाई को बनाना हो, इसी का ही उपयोग करते थे। समय-समय पर जैसा होता है, उस हिसाब से यह केश-क्रोप होने के बावजूद भी इसका प्रोडक्शन कम होता रहा और बांगलादेश बनने के बाद या पाकिस्तान बनने के बाद तो काफी हिस्सा इसका उधर ढाका की साइड चला गया। वहां अभी भी अच्छी क्वालिटी बन रही है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि तकरीबन वर्ष 2005 में हमने यह नेशनल जूट पॉलिसी रखी थी, ललित जी ने सही फरमाया। इसके बाद तकरीबन यह एक-डेढ़ साल स्टेंडिंग कमेटी के पास मामला रहा और स्टेंडिंग कमेटी के पास से आने के बाद इसको लोक सभा में रखा। अभी जो सेशन गया, उसमें लोक सभा में यह पास हुआ और अब हम आपकी अनुमति के लिए आपके पास आए हैं।

महोदया, आपके सजेशन्स बहुत मूल्यवान हैं। यह जो प्लास्टिक की बात कही गई है, चूंकि मैं वेस्टर्न सेक्टर से हूं, जहां प्लास्टिक का आधिपत्य है, प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स का प्रेसर होने के बावजूद भी, जबसे यू.पी.ए. सरकार बनी है, चाहे कमेटी की रिकमंडेशन जो भी रही हो, चाहे फूडग्रेन्स और सुगर में 70 परसेंट, 75 परसेंट की बात हो, इनको रूलआउट करके हमने सरकार बनने के पहले ही साल से हण्ड्रेड परसेंट जूट पैकेजिंग एक्ट का इंपलीमेंटेशन किया है। आज भी यह हो रहा है, यानी यू.पी.ए. सरकार का जो कमिटमेंट है, उसके अनुसार पांच साल तक वह कंटीन्यूएशली हण्ड्रेड परसेंट जूट पैकेजिंग एक्ट का इंपलीमेंटशन हुआ है।

महोदया, अभी प्रोडक्शन कम है, जिससे पंजाब में एफसीआई या बाकी की जो डिमांड है जूट बैग्स की, वह कम सप्लाई है। मैं यह जरूर प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा जूट हमारे पास आए, क्योंकि प्लास्टिक वालों का प्रेसर होने के बावजूद भी जूट की मांग चलती रहेगी। प्लास्टिक का नुकसान सबको पता है। यहां साड़ियों का जिक्र हुआ। इसमें बहुत कम परसेंट जूट का होता है। कहते जरूर हैं कि यह जूट साड़ी है, मगर उसमें 10 परसेंट जूट होता है। हमने कहा कि कम से कम 50 परसेंट जूट रखिए, ताकि अगर 50 परसेंट जूट रहता है तो वह कुछ जूट साड़ी लगेगी। जूट की क्वालिटी अच्छी होने के वाबजूद भी जो कॉमर्शियल लोग हैं, वे जूट के नाम पर व्यापार भी करते हैं, लेकिन जो साड़ी में कंट्रीब्यूशन होता है वह हार्डली 10 परसेंट होता है। ललित जी, जब मैं जयपुर गया था, तो वहां मैने जूट साड़ी देखी और पूछा कि इसमें कितना जूट है? बताया कि साहब, 10 परसेंट है। दस परसेंट को तो जूट की साड़ी नहीं कह सकते। हमने कहा कि इसमें आप कुछ करो और लिखो कि 80-20, या 40-60 जो भी हो। इससे कस्टमर जो जूट का उपयोग करना चाहेगा, वह इससे उसका लाभ ले सकता है।

महोदया, हमारे पास जो मिनी मिशन जूट के लिए है, जैसे कॉटन के लिए होता है। मिनी मिशन-एक, मिनी मिशन-दो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास है और मिनी मिशन-तीन और मिनी मिशन-चार जो हमारे पास है, इसमें हमने जितने भी जूट ग्रोवर्स हैं, उनके लाभ के लिए, अभी जो आपने पार्क की बात कही, उस पार्क के बारे में भी टैक्सटाइल सेक्टर में इंटिग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क स्कीम है। ऐसी स्कीम के लिए एसपीवी के लेवल के ऊपर वेस्ट बंगाल में दो का प्रपोजल अभी भी है, प्रोसेस हो रहा है। मैं समझता हूं कि जितनी डिमांड आएगी, उस पार्क से अच्छा प्रोडक्शन किया ही जाएगा। अभी एक अच्छा कलस्टर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इन्क्ल्यूडिंग एनवायरमेंटल प्रोब्लम,

पावर प्रोब्लम, रास्ते का, पानी का, वह सब देखते हुए अच्छा ध्यान केन्द्रित होने के बावजूद भी इतना नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए था। यह ठीक है कि बार-बार कहा जाता है जूट प्रोडक्शन में सात राज्य हैं, मगर डे बाइ डे प्रोडक्शन कम होता जा रहा है।

महोदया, हमारी कमेटी के लिए पहले जो प्रपोजल था, उसमें कम संख्या का, 21 का प्रपोजल था, हमने यह प्रपोजल को और मोडिफाइ करके जो मैम्बर्स एड किए हैं, वे तकरीबन 14 हैं। मैं ललित जी को यह जरूर कहूंगा कि अगर राज्य सरकारें अपना जूट कल्टीवेशन बढ़ाएंगी तो अगर तीन ही नहीं पांच मैम्बर्स भी रखने हैं तो rotation के अनुसार हम इसमें जरूर रख सकते हैं। लेकिन आज के हिसाब से जैसा भी बिल है, as per experience, इसमें modification हो सकता है। इसमें दो एमपीज़ लोक सभा से और एक एमपी राज्य सभा से हैं। आने वाले दिनों में अच्छा contribution रहेगा, जूट बोर्ड की importance बढ़ेगी तो हम इनकी संख्या तीन की जगह पांच भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो नये मेम्बर्स हैं, चाहे उसमें Research Institute के लोग हों, जूट इंडस्ट्री के लोग हों, जूट कॉर्पोरेशन के लोग हों या जूट वर्कर्स या फार्मर्स हों, वह भी बढ़ाये जा सकते हैं। एक बार जूट बोर्ड बन जाएगा, अच्छी experience होगी और जब ऐसा लगेगा कि अभी लेबरर्स, किसानों या राज्यों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, तो 35 क्या, 40 लोग भी बोर्ड में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमारा यह प्रयास है कि एक अच्छा जूट बोर्ड बने। इनकी जो recommendation थी, उसमें कई duplications थीं, इसलिए हमने इनको इसमें include नहीं किया है, लेकिन एक काफी अच्छा बोर्ड बनने जा रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में यह जो बोर्ड बनेगा, इस बोर्ड के माध्यम से specially जो जूट ग्रोअर्स हैं, इनको ज्यादा फायदा पहुंचे, यह हमारा मुख्य ध्येय है।

आपने जो JCI का जिक्र किया, यह CCI जैसा मामला नहीं है। कॉटन ग्रोअर्स आज पूरे देश में खुश हैं, इनको MSP मार्केट प्राइस से भी ज्यादा मिल रहा है। लेकिन जहां तक जूट का मामला है, इसका MSP मार्केट प्राइस से कम है। अगर JCI, MSP करेगी भी तो भी ज्यादा लोग देने वाले नहीं होंगे। मैं यह जरूर कहूंगा कि कॉटन में मिडलमैन की एजेंसी होने के बावजूद CCI कॉटन ग्रोअर्स से direct purchase करती है। इस जूट इंडस्ट्री में मिडलमैन का या जो प्राइवेट मिल ऑनर्स हैं, इनका इतना ही confidence रहता है कि पूरे किसानों के साथ मिलकर मिडलमैन की एजेंसी को जो रोल प्ले करना चाहिए, जिससे नुकसान किसान को होता है। अगर वह MSP और बढ़ाई जाए, MSP का सिस्टम, जो हमारी कमेटी रिकमेंड करती है, वह जो हमारे पास आती है, तो हम अपनी ओर से जरूर कहेंगे कि MSP मार्केट प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इयर अगर MSP मार्केट प्राइस से कम है, तो कम से कम लेवल पर होना चाहिए जिससे किसान को competititon में फायदा हो, हमारा यह भी प्रयत्न रहेगा। इसके बावजूद, जैसा ललित जी ने कहा कि सरकारें बदल जाती हैं, तो ...**(व्यवधान)**...

श्री विक्रम वर्मा: क्या MSP में जूट include है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: उसमें जूट include है, लेकिन प्राइस कम है। कमेटी की जो सिफारिश आती है, वह हम पूरा का पूरा implement करते हैं, जैसे कॉटन, व्हीट या पैडी में सिफारिश आती है। वह इसमें है, लेकिन प्राइस काफी कम है। JCI की functioning में loopholes हैं, इसमें अच्छे आफिसर्स भी उपलब्ध नहीं हैं, जो कम से कम जूट ग्रोअर्स को समझें कि वे क्या हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखण्ड): एक समय था जब जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पोस्टिंग एक प्राइड पोस्टिंग मानी जाती थी। हर एक ऑफिसर यह चाहता था कि वह वहां पोस्टेड हो।

श्री शंकर सिंह वाघेला: नहीं-नहीं। जेसीआई के पास अच्छे ऑफिसर्स नहीं हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: देखिए, टी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों जगहों पर जाने के लिए मार-धाड़ होती है। इस जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कारण ही सारी जूट मिलें आज बंद हो गईं और उन जूट मिलों की जमीन आज औने-पौने भाव में बिक रही है। सब हाउसिंग एस्टेट बन रहा है। वह सब पहले आप एक्वायर कीजिए और उसे जूट के लिए लगाइए।

श्री शंकर सिंह वाघेला: मैं यह कहूंगा कि JCI में पोस्टिंग के लिए अच्छे ऑफिसर्स उपलब्ध नहीं हैं। आपके पास अगर कोई है तो उसे मेरे पास भेजिए, मैं जल्दी पोस्टिंग कराऊंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: JCI के लिए आप वहां ज्वायंट सेक्रेट्री लेवल के ऑफिसर्स भेजते हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला: नहीं, नहीं वहां ऑफिसर नहीं हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: टी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए ज्वायंट सेक्रेट्री लेवल के ऑफिसर्स भेजते हैं। कोलकाता में पोस्टिंग है और दार्जिलिंग, सिलिगुड़ी तथा कोलकाता घूमने को मिलता है। सर, वहां पर ऐसा नहीं है कि ऑफिसर नहीं मिलता है। आपने उसके पावर काट लिये, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता होगा।

श्री शंकर सिंह वाघेला: देखिए, हम प्रो-फार्मर्स मेंटलिटी वाले ऑफिसर्स को पसंद करते हैं, जो फार्मर्स की चिन्ता करे, वे कम available हैं। आपने जो NTC की जमीनों के वितरण का जिक्र किया, तो हर जगह जमीन का अलग-अलग हिसाब है। महाराष्ट्र में जमीन मिलती है, गुजरात में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, वहां स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से मिलती हैं और उसका change of use जो होता है, वह राज्य सरकार तय करती है। एनटीसी की मिलें भी बंद हो गई हैं। ये आज से बंद नहीं हुईं। जब इसका नेशनलाइजेशन किया गया, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ था। जूट मिलें माडर्नाइजेशन के अभाव में, जैसा टैक्सटाइल का मामला था, वही जूट का मामला था, जैसे आपने फरमाया कि बैंक से लोन लेने के बाद उसका सही उपयोग माडर्नाइजेशन में करना चाहिए, मिल-मालिकों ने नहीं किया। जब नहीं किया तो West Bengal या जहां-जहां मिलें थीं, वे due course में बंद हो गईं। बंद होने के बाद जो उसकी जमीन का मामला है, तो अगर वह जमीन प्राइवेट है, अलग हिसाब है, अगर वह जमीन राज्य सरकार ने दी है तो अलग मामला है, अगर वह जमीन गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास है तो अगल मामला है। हरेक का हिसाब होता है और हमारी और से मैं कहूंगा कि चाहे एन.टी.सी. हो या जूट की मिलों की जमीन हो, जो भी बेचेने का मामला होता है, वह खुले आम टेंडर के हिसाब से होता है, मार्किट भाव के हिसाब से पैसे मिलते हैं। मुम्बई में बहुत पैसे मिले, जिनका हमने वी.आर.एस. और लेबरर्स की भलाई के लिए उपयोग किया है। इसलिए हमारी जमीन का मामला वह नहीं है कि जिससे वह मिल-मालिक लेकर चला जाएगा। चेंज आफ यूज, उपयोग जो चेंज करना है, वह राज्य सरकार करती है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। आपने यह भी फरमाया कि ऑडिटर जनरल का आडिट हो, बहुत अच्छा सजेशन है और भी कई बहुत अच्छे सजेशंस हैं, जिनके बारे में मैं जरूर कहूंगा कि माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छा होम वर्क किया है। TUFS - Technology up gradation fund scheme का लाभ भी हम इनको देते हैं।

श्री मोहम्मद अमीन: मेरी आपसे दरख्वास्त सिर्फ यही है कि जब जूट की फसल आती है और खरीददारी का समय होता है, उस वक्त JCI को sufficient fund दिया जाए। आप यह एक ही काम कर दीजिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा।

श्री शंकर सिंह वाघेला: हमने JCI को 30 करोड़ रुपए और market infrastructure को develop करने के लिए 38 करोड़ रुपए इनके पास रिज़र्व में रखे हुए हैं। लेकिन, जो आपने फरमाया कि function करने वाले आफिसर और मिडिलमैन की मिलीभगत होती है, तो jute grower sufferer होता है। प्राब्लम यह है कि वहां MSP कम है और

बाजार भाव ज्यादा है, कॉटन में MSP ज्यादा है मार्किट प्राइस कम है। ...**(व्यवधान)**... मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे जिस स्टेट से भी concerned हैं, हमको वहां मंत्रालय में fax जरूर कर दीजिए, within 24 hours MSP Centre वहां शुरू कर देंगे। आज तकरीबन 171 MSP Centres पूरे देश में हैं और 50 proposed हैं, जहां भी, जिनकी डिमांड है, वहां हम शुरू कर देंगे। इसलिए अगर आपके ध्यान में आए कि वहां MSP शुरु करना है तो आप बताएं, I will start immediately within 24 hours. स्टाफ भी पूरा है, उसमें कोई प्राब्लम नहीं है। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं और माननीय ललित जी के जो भी संशोधन हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री के.वी. शणप्पा (कर्नाटक): मैं MSK Mill, Gulbarga के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर VRS लेने के बाद भी उनका पैसा अभी तक आपके पास जमा है, 20 लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने उनको कहा था कि आपका VRS का पैसा रखो, बाकी का totally Rs. 70,000/- to Rs. 80,000/- they have deposited with you only. आपसे उन्होंने यह निवेदन किया था कि जिस घर में वे हैं, they wanted that house to be transferred in their name. मैंने इसके बारे में खत लिखा, आपका उत्तर भी आया था and you were very kind enough to give me the answer in a somewhat positive way. मगर वह settle नहीं हुआ।

श्री शंकर सिंह वाघेला: एक बार फिर जरूर आपके पत्र को देखूंगा। VRS जो भी लेना चाहता है, उसको VRS जरूर देते हैं।

श्री के.वी. शणप्पा: आपने पैसा दिया है, लेकिन जो नहीं लेना चाहता, जो उसी क्वार्टर मे रहना चाहता है, वे अपने नाम पर वह क्वार्टर चाहते हैं जहां वे रहते हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला: होता क्या है कि पूरी मिल चलाने के लिए जितने एक्सपर्ट, अच्छे वर्कर्स चाहिए, VRS लेने के बाद 1/3 बच गए, तो जो बच गए उनसे मिल नहीं चलती है।

श्री के.वी. शणप्पा: मिल नहीं, आपने दे दिया है, पूरा दे दिया है।

श्री शंकर सिंह वाघेला: मैं इससे सहमत हूं कि अगर VRS की पॉलिसी है, तो वर्कर जब भी चाहे उसको VRS मिल जाना चाहिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: इनका प्रश्न दूसरा है। इनका प्रश्न है कि मिल बंद है, आपने VRS दिया और VRS देकर आपने कुछ लोगों को पैसा दिया कि आप पैसा लेकर जाओ। कुछ लोगों ने बोला कि आपने जो हमको पैसा दिया, हम आपके पास जमा करते हैं, उस टैक्सटाइल मिल की टाउनशिप में जिस क्वार्टर में हम रहते थे, वह क्वार्टर हमारे नाम से अलॉट कर दीजिए, हम वहीं रहेंगे। दूसरा, सर, मैं इसमें इसलिए बोल रहा हूं कि हर पब्लिक सैक्टर ने यह डिसीज़न लिया है कि जहां-जहां, चाहे फर्टिलाइज़र यूनिट हो, चाहे स्टील प्लांट हो, चाहे मेकॉन हो और चाहे HEC हो, हरेक जगह डिसीजन लेकर उनको क्वार्टर दिए गए हैं, तो इसमें क्यों नहीं देते?

श्री शंकर सिंह वाघेला: मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मुंबई में जो chawls हैं, इसमें हमने ऑन पालिसी तय किया है कि इन labourers को उनमें जगह मिलेगी, इसी तरह जूट इंडस्ट्री में जैसे ही मेरे पास इन्फॉरमेशन आएगी, मैं हाउस में यह आश्वासन देता हूं कि अगर इनका right बनता होगा, तो वैसे भी उस गरीब आदमी का मकान जहां है, उसके दाम का जो भी सिस्टम होगा, उस price पर उसको जरूर वह मिले, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे।

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): Very nice. Thank you, Sir.

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): उनका पैसा भी जमा है।

SHRI S.S. AHLUWALIA: Another Minister is telling you that the money is deposited already, but the Name is not changed...*(Interruptions)*..

SHRI VIKRAM VERMA : The Minister is also supporting the same.

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात): यह अभी जो strike चल रही है, एक दिसंबर से चल रही है, सभी 50 बड़ी जूट मिलें बंद हैं और बंगला देश और नेपाल से जूट इंपोर्ट हो रहा है, हमारा जूट बिक नहीं रहा है और वहां से जूट इंपोर्ट हो रहा है, illegal तरीके से बंगला देश से जूट इंपोर्ट हो रहा है, नेपाल से officially import हो रहा है और zero value duty है, तो जूट इंडस्ट्री कैसे चलेगी?

श्री शंकर सिंह वाघेला: यह जो strike वाला मामला था, एक या दो महीने पहले भी हमारे पास आया था। यह ठीक है कि वे जूट मिलें हैं, लेकिन वे जो प्राइवेट मिलें हैं, उनके हिसाब-किताब के बारे में हमारा लेबर मंत्रालय जरूर कुछ कह सकता है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर वह हमारी मिल है, जिसको हम चलाते हैं, उसमें strike है, तो अलग बात है। हमने सबको VRS दिया है, जितने employees हैं, उनको हम तनख्वाह देते हैं। फिर भी strike, strike होती है और हमारे ऑस्कर जी यहां मौजूद हैं, वे लेबर मिनिस्ट्री को देखते हैं, on behalf of all Members, I will request him. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: नहीं, नहीं, यह survival का सवाल है। नेपाल से जो इंपोर्ट हो रहा है, illegally import हो रहा है, smuggle हो रहा है, ऐसी हालत में India का jute grower क्या करेगा और उस पर ज़ीरो परसेंट ड्यूटी है, तो यहां की इंडस्ट्री कैसे बचेगी?

श्री शंकर सिंह वाघेला: इसमें jute grower का सवाल नहीं है, हमारा जूट प्रोडक्शन इतना नहीं है, जितनी आज डिमांड है जूट पैकेजिंग ऐक्ट के तहत ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: उसको आप रोकेंगे ...**(व्यवधान)**... उसको रोकिए ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Okay. Let him reply.

श्री शंकर सिंह वाघेला: हमारे यहां चीन से सिल्क भी आता है, इन सबको रोकने के लिए जो tight compartment करना चाहिए, वह हमारी ओर से करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी डालनी है, वह भी हम डालते हैं, मैक्सिमम डालते हैं, इसमें हम कोई कसर नहीं रखते हैं। मेरा निवेदन है कि strike के बारे में संबंधित मंत्री जी जरूर चिंता करेंगे और लेबर के भले में जो भी होगा, वह करेंगे। मैं फिर से आपका आभारी हूं कि ...**(व्यवधान)**...

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Madam, please allow me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): He is finishing his reply. How many people will put questions like this?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Most of the jute growers, particularly private jute growers, are surviving on the benefits being given by the Central Government through various schemes. But these jute growers are not implementing the basic law of the land! I think, these two basic things have to be addressed. On the last occasion also, we met you with a deputation just with these requests that they are surviving on the benefits of the scheme introduced by the Central Government. They are getting funds out of it, but they are not implementing any commitment of theirs to the workers, even the commitment being given, under the law of the land, through the tripartite agreement. That has become a serious bone of contention.

श्री शंकर सिंह वाघेला: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी जिम्मेदारी होती है, उसकी चिंता हम जरूर करते हैं, लेकिन कई चीजें Concurrent List में होने से, राज्य सरकार के हाथ में होने से हमारे कंट्रोल के परे होती हैं। तो कई

चीजें हैं, जो concerned State Government के हाथ में हैं, हमारे पास जो मामला आता है, उसकी हम जरूर चिंता करते हैं।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: This is not a State *vs.* Centre issue.

SHRI SHANKERSINH VAGHELA: I understand, उनके जो भी प्रश्न होंगे concerned to my Ministry, you get rest assured that you will get a positive response. इसमें हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। मैं फिर से सबका आभारी हूं कि आपने अच्छे ढंग से, studied homework करने के बाद जो suggestions रखे हैं, उनके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। एक बार बोर्ड पुनः बन जाएगा, फिर जो भी experience होगा, इसमें आपके जो भी suggestions होंगे, उनको implement करने के लिए जरूर आगे समय है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस बिल पर अपना positive response देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I shall now put the motion to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of a National Jute Board for the development of the cultivation, manufacture and marketing of jute and jute products and for matter connected therewith and incidental there to, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In clause 2, there is one amendment (No.1) by Shri Lalit Kishore Chaturvedi. Are you moving the amendment?

SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI: Madam, I am not moving the amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : I shall now put clause 2 to vote.

Clause 2 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : We shall now take up clause 3 for consideration. There are three amendments (Nos.2 to 4) by Shri Lalit Kishore Chaturvedi. Are you moving the amendments?

SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI: Madam, I am not moving the amendments.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : I shall now put clause 3 to vote.

Clause 3 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : We shall now take up clause 4 for consideration. There are two amendments (Nos.5 and 6) by Shri Lalit Kishore Chaturvedi. Are you moving the amendments?

SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI: Madam, I am not moving the amendments.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : I shall now put clause 4 to vote.

Clause 4 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : We shall now take up clause 5 for consideration. There are three amendments (Nos.7 to 9) by Shri Lalit Kishore Chaturvedi. Are you moving the amendments?

SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI: Madam, I am not moving the amendments.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : I shall now put clause 5 to vote.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 to 13 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : We shall now take up clause 14 for consideration. There are three amendments (Nos.10 to 12) by Shri Lalit Kishore Chaturvedi. Are you moving the amendments?

SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI: Madam, I am not moving the amendments.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : I shall now put clause 14 to vote.

Clause 14 was added to the Bill.

Clauses 15 and 16 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : We shall now take up clause 17 for consideration. There is one amendment (No. 13) by Shri Lalit Kishore Chaturvedi. Are you moving the amendment?

SHRI LALIT KISHORE CHATURVEDI: Madam, I am not moving the amendment.

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : I shall now put clause 17 to vote.

Clause 17 was added to the Bill.

Clauses 18 to 26 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHANKERSINH VAGHELA: Madam, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : We shall now take up the Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Amendment) Bill, 2008. Shri V. Narayanasamy.

The Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Amendment) Bill, 2008.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, thank you for giving me this unique opportunity to move this Bill for the consideration of the House. Madam, I beg to move:

That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.